मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013-अग्रहायण 22, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that M/s Synergy Testing House of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00542/12, Dated 26th March, 2012 undergone the following change :—

1. That Mrs. Madhu Sharma W/o Mr. O. N. Sharma has joined the partnership firm & Shri O. N. Sharma S/o Shri Mewa Lal Sharma has also desired to retire from the Partnership firm.

NAVNEET SHARMA,
Partner,
Synergy Testing House, Bhopal, M. P.

(440-B.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कान्हा एसोसिएट्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00091/12, 2012-13 रजिस्टर्ड ऑफिस 303, बद्री विशाल प्लाजा, खूबी की बजरिया, ओल्ड हाई कोर्ट रोड, ग्वालियर पर स्थित है. जिसमें तीन साझेदार—श्री प्रदीप शर्मा, विनय जैन व गिर्राज त्यागी हैं. श्री गिर्राज त्यागी उक्त फर्म से दिनांक 14 अगस्त, 2013 से अन्य साझेदारों की सहमति से अलग हो चुके हैं. भविष्य में इनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा.

VINAY JAIN,
Partner,
M/s Kanha Associates.

(453-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स फेथ बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, एम. एच. चौराहा, पृथ्वीराज मार्ग, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर—श्री सुधाकर पाठक पुत्र श्री प्रेमनारायण पाठक, निवासी—कोटेश्वर कॉलोनी, कोटेश्वर मन्दिर के सामने, किला गेट, ग्वालियर (म. प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में 25 अक्टूबर, 2013 को संशोधन कर नवीन साझेदार—श्री सोमेश्वर सिंह भदौरिया पुत्र श्री बलराम सिंह भदौरिया, निवासी—एम. एच. चौराहा, पृथ्वीराज मार्ग, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

नागेन्द्र सिंह भदौरिया,
मैसर्स फेथ बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
एम. एच. चौराहा, पृथ्वीराज मार्ग, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.).

(454-बी.)

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि—

साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स मथुरालाल बालकिशन, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर की रचना में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन किया गया है :—

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके फर्म में सम्मिलित होने का दिनांक	निकलने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके साझेदार न रहने का दिनांक
श्रीमती ममता गर्ग एवं कु. कुंजल गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 02 अप्रैल, 2002 को फर्म में सम्मिलित हुईं.	श्रीमति चौथी बाई गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 31 मार्च, 1993 को निवृत्त हुए.
कु. मिषिता गर्ग एवं तुषिना गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 01 अप्रैल, 2004 को फर्म में सम्मिलित हुईं.	श्रीमान प्रकाशचंद्र जी गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 31 मार्च, 2002 को निवृत्त हुए.
श्रीमान प्रेम गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को फर्म में सम्मिलित हुए.	कु. कुंजल गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 31 मार्च, 2004 को निवृत्त हुए.
कु. मिषिता गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 04 फरवरी, 2012 को फर्म में सम्मिलित हुए.	कु. मिषिता गर्ग एवं तुषिना गर्ग, 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 01 अप्रैल, 2006 को निवृत्त हुए.
	श्रीमान प्रेम गर्ग (HUF), 88 तेल गली, सियागंज, इंदौर दिनांक 04 फरवरी, 2012 को फर्म से निवृत्त हुए.

साझेदार :— **प्रेम गर्ग**

अंजना नाहर, (एडवोकेट)
गंगा नगर, एरोड्रम रोड, इंदौर.

(455-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. ए. पी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मुरैना की भागीदारी से भागीदार श्री अतर सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह यादव, दिनांक 07 दिसम्बर, 2001 से स्वेच्छा पूर्वक पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से नवीन भागीदार श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री अवधेश प्रताप सिंह यादव, धर्मपाल सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह यादव, श्री अजय राजपूत पुत्र श्री कमल सिंह राजपूत सम्मिलित हो गये हैं. अब वर्तमान में फर्म में श्री लाखन सिंह यादव पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह यादव, श्री बाबू सिंह यादव पुत्र स्व. भंवर सिंह यादव, अवधेश प्रताप सिंह यादव, पुत्र श्री दर्शन सिंह यादव, श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी श्री दर्शन सिंह यादव, श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री अवधेश प्रताप सिंह यादव, श्री धर्मपाल सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह यादव, श्री अजय राजपूत पुत्र श्री कमल सिंह राजपूत भागीदार हैं.

अवधेश प्रताप सिंह यादव,
पार्टनर,
मेसर्स ए. पी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मुरैना (म.प्र.).

(456-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that M/s Lion Engineering Consultants of Bhopal Vide Reg. No. 121, Dated 27th November, 2012 undergone the following change :—

1. That Mr. Navneet Sharma S/o Mr. O. N. Sharma has joined the partnership firm & Shri O. N. Sharma S/o Shri Mewa Lal Sharma has also desired to retire from the Partnership firm.

MANJU SHARMA,
Partner,
Lion Engineering Consultants, Bhopal.

(457-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म राजावत स्टोन इन्डस्ट्रीज-ग्राम-लखनपुरा, बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ने अपनी साझेदारी फर्म में 15 जुलाई, 2013 को संशोधन कर नवीन साझेदार कु. नीरज तोमर पुत्री श्री तुसनपाल सिंह तोमर, श्री विजय प्रताप सिंह कुशवाह पुत्र श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह, निवासी-डी-14, भदौदिया मार्केट, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) श्री दिनेश सिंह भदौरिया पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह भदौरिया, निवासी-बी-453, आनन्द नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) श्री अमित सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री कृष्णगोपाल सिंह चौहान, निवासी-जी-47, आदित्यपुरम, भिण्ड रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) एवं श्री यतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चौहान, निवासी-डी. एच.-89, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्य में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले सभी साझेदारों को स्वीकार है, साथ ही फर्म के पते में भी परिवर्तन कर न्यू पता :- डी.-14, भदौरिया मार्केट, दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) कर दिया गया है.

पूनम सिंह,
मैसर्स राजावत स्टोन इन्डस्ट्रीज,
डी.-14, भदौरिया मार्केट, दर्पण कॉलोनी ठाटीपुर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(458-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आकांक्षा प्लांट बायोटेक कम्पनी फर्म रूम नम्बर 18, 59 आदित्य काम्पलेक्स, धर्म कांटा, छोला रोड, भोपाल (म. प्र.) का विघटन दिनांक 31 मार्च, 2013 को हो गया है. उक्त फर्म में शामिल सभी भागीदार—(1) संजय कुमार सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह, (2) नीतू सिंह पत्नी संजय कुमार सिंह, (3) जगदीश माली पुत्र श्री भुवानीराम माली ने अपनी-अपनी भागीदारी दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त कर लिया है. उक्त फर्म का विघटन हो गया है.

संजय कुमार सिंह,
मेसर्स आकांक्षा प्लांट बायोटेक कम्पनी,
रूम नम्बर 18, 59 आदित्य काम्पलेक्स,
धर्म कांटा, छोला रोड, भोपाल (म. प्र.).

(459-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, विनय कुमार त्रिपाठी आत्मज रामनिरंजन त्रिपाठी, सहायक शिक्षक, शास. पू. मा. विद्यालय सायडिंग, जिला —सतना, मूल निवासी ग्राम बबैया, जिला—रीवा समाचार-पत्र के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि मेरा उपनाम त्रिपाठी की जगह तिवारी जाना जाये एवं पढ़ा जाये, साथ ही मेरे प्रथम नाम की स्पेलिंग VINAYA की जगह VINAY जानी जाये.

पुराना नाम :
(विनय कुमार त्रिपाठी)
(VINAYA KUMAR TRIPATHI)

नया नाम :
(विनय कुमार तिवारी)
(VINAY KUMAR TIWARI)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
व्यंकट क्र. 02, सतना (म. प्र.).

(460-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम पवन अग्रवाल था, जो अब परिवर्तित होकर नया नाम संजय अग्रवाल पिता द्वारकादास अग्रवाल हो गया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम संजय अग्रवाल पिता द्वारकादास अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(पवन अग्रवाल)

नया नाम :
(संजय अग्रवाल)
पिता द्वारकादास अग्रवाल,
पता : 02, ओल्ड अग्रवाल नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(461-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम जुज़र अली (JUZAR ALI) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित जुज़र अली बादशाह (JUZAR ALI BADSHAH) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित जुज़र अली बादशाह **(JUZAR ALI BADSHAH)** से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(जुज़र अली)
(JUZAR ALI)

नया नाम :

(जुज़र अली बादशाह)
(JUZAR ALI BADSHAH)
210/7, वार्ड नं. 8-9, बोहरा मस्जिद के पास,
कॉजीपुरा, शुजालपुर सिटी,
जिला शाजापुर (म. प्र.).

(462-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

अल्पावधि निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/पेपर(कै-11)2013-14/4200.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में पंजीकृत मुद्रकों एवं जिल्दसाजों से वर्ष 2014 के स्पायरल नोटबुक एवं पेपर कैरी बैग का पेपर सहित मुद्रण एवं अन्य कार्यों की लेटर हैड पर प्रति नग समस्त कर सहित दरें दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को अपराह्न 1.00 तक आमंत्रित की जाती हैं. निविदाकार नमूनों का अवलोकन कर दरें प्रस्तुत करें.

2. इस अल्पावधि निविदा सूचना, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाईड **www.govtpressmp.nic.in** पर देखा जा सकता है.

3. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा. निविदा उसी दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी.

रेनू तिवारी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(743)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर

दिनांक 15 नवम्बर, 2013

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2013-14.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

''श्री आदेश्वर जैन, श्वेताम्बर मंदिर मुर्ति पूजक ट्रस्ट, धुंधडका, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश'' है.

2. चूँकि ''श्री आदेश्वर जैन, श्वेताम्बर मंदिर मुर्ति पूजक ट्रस्ट, धुंधडका, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश'' है द्वारा मुख्य न्यासधारी- महेन्द्र कुमार पिता सुरजमल जैन, नि. धुंधडका एवं अमित कुमार पिता जवाहरलाल जैन, नि. धुंधडका ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, जमुना भिडें, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी

जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल/अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छाया प्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्तिः—निरंक.

2. चल सम्पत्तिः—ट्रस्ट की चल सम्पत्ति के रूप में स्मृती नागरिक बैंक, दलोदा में 7595/- रु. तथा पंजाब नेशनल बैंक, शाखा दलोदा में 6051/- रु. तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दलोदा में 4,94,353/- रु. जमा किये हैं. कुल राशि 5,07,999/- रु. है. (पाँच लाख सात हजार नौ सौ निन्याणवे रुपये) है. लोक न्यास का नामः- "श्री आदेश्वर जैन, श्वेताम्बर मंदिर मुर्ति पूजक ट्रस्ट, धुंधडका, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश" है.

जमुना भिडें,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(693)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर, 2012

क्र. 4/बी-113/बैरा. वृत्त/12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसाकि श्री मंगल सिंह राजपूत आ. स्व. श्री पदमसिंह अध्यक्ष श्री महर्षि पतंजली सेवा न्यास ट्रस्ट, गोदरमउ-ग्राम गोदरमउ, वार्ड क्रमांक 1, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	ग्राम गोदरमउ वार्ड क्र. 1, तहसील हुजूर, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिंगार चौली, भोपाल में रु. 2,100.00

अविनाश तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(692)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मानस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./108, दिनांक 21 मार्च, 1983 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08 अगस्त, 2013 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1534, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(694)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./65, दिनांक 17 जून, 1976 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08 अगस्त, 2013 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.

3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1536, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(694-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

संगम महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, मऊच ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./913, दिनांक 13 मार्च, 2002 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08 अगस्त, 2013 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1535, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संगम महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, मऊच ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(694-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

पंजाब नेशनल बैंक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./863, दिनांक 28 नवम्बर, 1996 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08 अगस्त, 2013 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1532, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई

उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(694-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./959, दिनांक 08 अगस्त, 1989 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई, 2013 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1532, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. बाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(694-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

भवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./221, दिनांक 10 अगस्त, 1977 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16 सितम्बर, 2013 के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1530, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक ..... में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. रहेजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह कारण आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेयी,
उप-रजिस्ट्रार.

(694-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपरीपुरा, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 817, दिनांक 28 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शिकारी का पुरा, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 825, दिनांक 07 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ापुरा जोहर, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 20 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रोरियापुरा, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 31 मार्च, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लेनकापुरा, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 798, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695-D)

मुरैना, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1815.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चाँदपुर, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 737, दिनांक 11 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत

मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695-E)

मुरैना, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1816.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हाथीरती का पुरा, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 24 अगस्त, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(695-F)

मुरैना, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1817.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूअर, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 28 अप्रैल, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री श्रीनिवास शर्मा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ ग्वालियर, मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीनिवास शर्मा द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(695-G)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1196.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, वड़ागाँव, पंजीयन क्रमांक 1339, दिनांक 10 अगस्त, 2007 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण

अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, वड़ागाँव के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1197.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1355, दिनांक 08 सितम्बर, 2008 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़ के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-A)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1198.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था राजीव गाँधी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 14 फरवरी, 1994 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था राजीव गाँधी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-B)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1199.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था एम. एस. बीज सहकारी संस्था मर्यादित, वरेह, पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 21 जनवरी, 2011 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था एम. एस. बीज सहकारी संस्था मर्यादित, वरेह के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-C)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1200.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्यादित, जीवाजीगंज, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 521, दिनांक 15 नवम्बर, 1981 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्यादित, जीवाजीगंज, मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-D)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1201.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था अशोक मछुआरा सहकारी संस्था मर्यादित, जौरा, पंजीयन क्रमांक 1041, दिनांक 27 जून, 1995 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था अशोक मछुआरा सहकारी संस्था मर्यादित, जौरा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-E)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1202.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, नूराबाद, पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 23 फरवरी, 1982 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, नूराबाद के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-F)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1203.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिहोरी, पंजीयन क्रमांक 506, दिनांक 04 नवम्बर, 1981 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिहोरी के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-G)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1204.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दतहरा, पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 27 जनवरी, 1989 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दतहरा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(696-H)

मुरैना, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1205.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था लुहारी सुतारी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिहोरी, पंजीयन क्रमांक 511, दिनांक 06 नवम्बर, 1961 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-संस्था लुहारी-सुतारी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिहोरी के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीक़रण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अभय कुमार खरे,
संयुक्त पंजीयक.

(696-I)

परिसमापनाधीन जीवन विहार, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

दिनांक 24 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/क्यू.—जीवन विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 269, दिनांक 26 जुलाई, 1980 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 2833, दिनांक 04 जुलाई, 2003 के द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर, इन्दौर पर कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(659-A)

परिसमापनाधीन प्रोफेसर, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

दिनांक 24 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/क्यू. —प्रोफेसर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 10 अक्टूबर, 1966 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 4624, दिनांक 03 सितम्बर, 2003 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर, इन्दौर पर कार्यालयीन समय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र दवे,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(659-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., संत रविदास वार्ड, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1154, दिनांक 08 सितम्बर, 2004, (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं,, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1606, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1)

के अन्तर्गत भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., संत रविदास वार्ड, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1154, दिनांक 08 सितम्बर, 2004, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1205, दिनांक 30 जून, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1615, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1205, दिनांक 30 जून, 2005, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मालथौन को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

माँ सिंगवाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 953, दिनांक 28 फरवरी, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1603, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ सिंगवाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 953, दिनांक 28 फरवरी, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-B)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/697.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., चौरई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 583, दिनांक 02 नवम्बर, 1994 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1565, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., चौरई, पंजीयन क्र. 583, दिनांक 02 नवम्बर, 1994, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-C)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/698.—कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1227, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1652, दिनांक 03 अगस्त, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली,पंजीयन क्र. 1227, दिनांक 11 सितम्बर, 2006, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-D)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/699.—दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1229, दिनांक 06 दिसम्बर, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस

उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1653, दिनांक 03 अगस्त, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा, पंजीयन क्र. 1229, दिनांक 06 दिसम्बर, 2006, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-E)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/700.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिन्नौद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1136, दिनांक 05 अगस्त, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1629, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिन्नौद, पंजीयन क्र. 1136, दिनांक 05 अगस्त, 2004, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-F)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/702.—रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरियापाठक, पो. रसैना, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1185, दिनांक 07 मार्च, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा/अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1627, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरियापाठक, पंजीयन क्र. 1185, दिनांक 07 मार्च, 2005, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-G)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/703.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1181, दिनांक 25 फरवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1626, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी, पंजीयन क्र. 1181, दिनांक 25 फरवरी, 2005, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-H)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/704.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 839, दिनांक 04 जून, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1625, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर, पंजीयन क्र. 839, दिनांक 04 जून, 2002, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-I)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/705.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1017, दिनांक 21 जनवरी, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1624, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, पंजीयन क्र. 1017, दिनांक 21 जनवरी, 2003, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-J)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/706.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरीखुर्द, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 806, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1623, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी खुर्द, पंजीयन क्र. 806, दिनांक 22 अप्रैल, 2002, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बन्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

वंशिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वंशिया (बरौदा), विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 956, दिनांक 28 फरवरी, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य

से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1622, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वंशिया बरौदा, पंजीयन क्र. 956, दिनांक 28 फरवरी, 2002, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-L)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/708.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 887, दिनांक 27 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1621, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट, पंजीयन क्र. 887, दिनांक 27 जुलाई, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-M)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/709.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी संवुश, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 886, दिनांक 27 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1620, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी संवुश, पंजीयन क्र. 886, दिनांक 27 जुलाई, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-N)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/710.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बमाना, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1196, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1619, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बमाना, पंजीयन क्र. 1196, दिनांक 15 अप्रैल, 2005, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बन्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-O)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/711.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1198, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1618, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा, पंजीयन क्र. 1198, दिनांक 13 अप्रैल, 2005, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-P)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/712.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1211, दिनांक 02 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1617, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, पंजीयन क्र. 1211, दिनांक 02 अगस्त, 2005, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-Q)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/713.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा अहीर, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1207, दिनांक 08 जुलाई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1616, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा अहीर, पंजीयन क्र. 1207, दिनांक 08 जुलाई, 2005, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बन्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-R)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/714.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचंद्र, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1204, दिनांक 16 जून, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर

के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1614, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचंद्र, पंजीयन क्र. 1204, दिनांक 16 जून, 2005, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बन्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-S)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/715.—इंदिरा गाँधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चमारी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1202, दिनांक 03 मई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1613, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इंदिरा गाँधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चमारी, पंजीयन क्र. 1202, दिनांक 03 मई, 2005, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-T)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/716.—जय माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हंसरई सादपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1200, दिनांक 03 मई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1612, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हंसरई सादपुर, पंजीयन क्र. 1200, दिनांक 03 मई, 2005, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-U)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/717.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1192, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1611, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, पंजीयन क्र. 1192, दिनांक 13 अप्रैल, 2005, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-V)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/718.—महारानी लक्ष्मीबाई महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुहांसा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1190, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1610, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महारानी लक्ष्मीबाई महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुहांसा, पंजीयन क्र. 1190, दिनांक 01 अप्रैल, 2005, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-W)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/719.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बदौना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 853, दिनांक 27 जून, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1609, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बदौना, पंजीयन क्र. 853, दिनांक 27 जून, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-X)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/720.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 863, दिनांक 04 फरवरी, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1608, दिनांक 27 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा, पंजीयन क्र. 863, दिनांक 04 जुलाई, 2002, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बन्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-Y)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/721.—एम. ई. एस. कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 356, दिनांक 05 दिसम्बर, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर

के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1607, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत एम. ई. एस. कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 356, दिनांक 05 दिसम्बर, 1981, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(697-Z)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/722.—गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1114, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1605, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर, पंजीयन क्र. 1114, दिनांक 26 अप्रैल, 2004, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/723.—महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1175, दिनांक 15 फरवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1604, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड, पंजीयन क्र. 1175, दिनांक 15 फरवरी, 2005, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-A)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/724.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनऊ, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1213, दिनांक 12 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1602, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनऊ, पंजीयन क्र. 1213, दिनांक 12 अगस्त, 2005, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-B)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/725.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिलौधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1209, दिनांक 20 जुलाई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1601, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1)

के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिलौधा, पंजीयन क्र. 1209, दिनांक 20 जुलाई, 2005, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-C)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/726.—उमा शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1194, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1600, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उमा शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, पंजीयन क्र. 1194, दिनांक 13 अप्रैल, 2005, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-D)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/727.—विजय फास्फेट सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 375, दिनांक 19 अगस्त, 1983 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1558, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत विजय फास्फेट सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 375, दिनांक 19 मार्च, 1983, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-E)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/728.—अल्प संख्यक लेदर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 472, दिनांक 15 मार्च, 1990 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1560, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अल्प संख्यक लेदर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 472, दिनांक 15 मार्च, 1990, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-F)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/729.—चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., लालकुर्ती, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 730, दिनांक 19 मार्च, 1998 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1559, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., लालकुर्ती, सागर, पंजीयन क्र. 730, दिनांक 19 मार्च, 1998, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-G)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/730.—माँ हरसिद्धी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 142, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर

के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1562, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ हरसिद्धी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़ , पंजीयन क्र. 142, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-H)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/731.—दाऊद आफसेट मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 132, दिनांक 05 मार्च, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1561, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दाऊद आफसेट मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., सागर , पंजीयन क्र. 132, दिनांक 05 मार्च, 2003, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-I)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/732.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 488, दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1563, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, पंजीयन क्र. 488, दिनांक 11 अक्टूबर, 1990, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-J)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/733.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., चनौआबुजुर्ग, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 486, दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1564, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., चनौआबुजुर्ग, पंजीयन क्र. 486, दिनांक 11 अक्टूबर, 1990, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-K)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/734.—राजघाट विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 784, दिनांक 07 अगस्त, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1567, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत राजघाट विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गढ़ौली, पंजीयन क्र. 784, दिनांक 07 अगस्त, 2001, विकासखण्ड सागर, जिला

सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-L)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/735.—मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 788, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1566, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली, पंजीयन क्र. 788, दिनांक 28 सितम्बर, 2001, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-M)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/736.—कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवोदिया, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 135, दिनांक 23 जून, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1568, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवोदिया, पंजीयन क्र. 135, दिनांक 23 जून, 2003, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-N)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/737.—पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 631, दिनांक 27 मई, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1571, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग खदान सहकारी समिति मर्या., देहरी, पंजीयन क्र. 631, दिनांक 27 मई, 1996, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-O)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/738.—रविदास हरिजन कामगार सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 294, दिनांक 21 फरवरी, 1975 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1570, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रविदास हरिजन कामगार सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी, पंजीयन क्र. 294, दिनांक 21 फरवरी, 1975, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-P)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/739.—पशु संवर्धन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 447, दिनांक 29 मार्च, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन

जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1572, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पशु संवर्धन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 447, दिनांक 29 सितम्बर, 1989, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-Q)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/740.—दूर संचार कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 751, दिनांक 13 जुलाई, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1573, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दूर संचार कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 751, दिनांक 13 जुलाई, 1999, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-R)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/741.—डाक विभाग कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 775, दिनांक 22 अप्रैल, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1574, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत डाक विभाग कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., खुरई, पंजीयन क्र. 775, दिनांक 22 अप्रैल, 2001, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-S)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/742.—हरिजन नगर पालिका कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 425, दिनांक 13 मार्च, 1986 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1575, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरिजन नगर पालिका कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 425, दिनांक 13 मार्च, 1986, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-T)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/743.—रहली नगर पालिका हरिजन कर्म. सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 440, दिनांक 06 अक्टूबर, 1987 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1576, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रहली नगर पालिका हरिजन कर्म. सहकारी समिति मर्या., रहली, पंजीयन क्र. 440, दिनांक 06 अक्टूबर, 1987, विकासखण्ड रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-U)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/744.—बुन्देलखंड अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., मोहन नगर वार्ड, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 719, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1577, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बुन्देलखंड अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., मोहन नगर वार्ड, पंजीयन क्र. 719, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-V)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/745.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., सानौधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 456, दिनांक 13 फरवरी, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1578, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., सानौधा, पंजीयन क्र. 456, दिनांक 13 फरवरी, 1989, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-W)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/746.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 468, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस

उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1579, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, पंजीयन क्र. 468, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-X)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/747.—माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 828, दिनांक 20 मई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1580, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा, पंजीयन क्र. 828, दिनांक 20 मई, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-Y)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/748.—जय संतोषी मां प्राथमिक सह. उप. भं. मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 654, दिनांक 20 नवम्बर, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1581, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय संतोषी मां प्राथमिक सह. उप. भं. सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 654, दिनांक 20 नवम्बर, 1996, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(698-Z)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/749.—मधुकर शाह प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., मधुकर शाह वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 327, दिनांक 20 अप्रैल, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1582, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मधुकर शाह प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., मधुकर शाह वार्ड, सागर, पंजीयन क्र. 327, दिनांक 20 अप्रैल, 1981, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/750.—राघव प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गंभीरिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 710, दिनांक 04 अक्टूबर, 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1583, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत राघव प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गंभीरिया, पंजीयन क्र. 710, दिनांक 04 अक्टूबर, 1997, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-A)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/751.—विविध शिल्पकला प्राथ. सह. उप. भं. सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 271, दिनांक 21 अक्टूबर, 1972 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1584, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत विविध शिल्पकला प्राथ. सह. उप. भं. सहकारी समिति मर्या., खुरई, पंजीयन क्र. 271, दिनांक 21 अक्टूबर, 1972, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-B)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/752.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 558, दिनांक 03 दिसम्बर, 1993 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1585, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, पंजीयन क्र. 558, दिनांक 03 दिसम्बर, 1993, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-C)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/753.—तिलहन सहकारी समिति मर्या., अगरिया, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 455, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र

क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1586, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत तिलहन सहकारी समिति मर्या., अगरिया, पंजीयन क्र. 455, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-D)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/754.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1216, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1587, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा सागर, पंजीयन क्र. 1216, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-E)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/755.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1220, दिनांक 19 मार्च, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1588, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, पंजीयन क्र. 1220, दिनांक 19 मार्च, 2006, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-F)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/756.—ओंम सांईराम ईंधन सहकारी समिति मर्या., सदर केंट 01, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1224, दिनांक 25 मई, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1589, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ओंम सांईराम ईंधन सहकारी समिति मर्या., सदर केंट 01, पंजीयन क्र. 1224, दिनांक 25 मई, 2006, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-G)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/757.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., आसौली, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1214, दिनांक 16 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1590, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1)

के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., आसौली, पंजीयन क्र. 1214, दिनांक 16 अगस्त, 2005, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-H)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/758.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बाहरपुर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1212, दिनांक 02 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1591, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बाहरपुर, पंजीयन क्र. 1212, दिनांक 02 अगस्त, 2005, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-I)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/759.—आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 1226, दिनांक 30 जून, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1592, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, पंजीयन क्र. 1226, दिनांक 30 जून, 2006, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-J)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/762.—म. प्र. विद्युत मंडल कर्म. अल्पबचत सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 783, दिनांक 02 अगस्त, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1595, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत म. प्र. विद्युत मंडल कर्म. अल्पबचत सहकारी समिति मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 783, दिनांक 02 अगस्त, 1981, विकासखण्ड बीना, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-K)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/763.—ग्रामीण विकास अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., केसली, विकासखण्ड केसली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 743, दिनांक 05 जनवरी, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1596, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., केसली, पंजीयन क्र. 743, दिनांक 05 जनवरी, 1999, विकासखण्ड केसली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड केसली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-L)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/764.—आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 139, दिनांक 02 सितम्बर, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1597, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 139, दिनांक 02 सितम्बर, 2004, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(699-M)

सागर, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./विधि/परि./2013/765.—महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 816, दिनांक 08 मई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंके./12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में वह सर्वथा असफल रही है. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है. तद्नुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/12/1598, दिनांक 28 जुलाई, 2012 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, पंजीयन क्र. 816, दिनांक 08 मई, 2002, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

(699-N)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013–अग्रहायण 22, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मझगवां, उचेहरा, रामनगर, मैहर (सतना), बड़नगर (उज्जैन), बदनावर, धार, धरमपुरी (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील शिवपुरी, बदरवास (शिवपुरी), रघुराजनगर, नागौद, अमरपाटन, विरसिंहपुर (सतना), मल्लारगढ़, मंदसौर, धुन्धडका (मंदसौर), खाचरौद, उज्जैन (उज्जैन), सरदारपुर, कुक्षी, मनावर, गंधवानी (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील मिहोना (भिण्ड), रामपुर-बघेलान (सतना), जैतपुर (शहडोल), बांधवगढ़ (उमरिया), मानपुरा, गरोठ, सीतामऊ (मंदसौर), महिदपुर, तराना, घटिया, नागदा (उज्जैन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राधवगढ़, बमोरी, आरोन, चाचौडा, कुंभराज (गुना), निवाडी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर,विजावर, बड़ा मलहरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुनौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, बण्डा, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथोन (सागर), त्यौंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिंहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, कयामपुर, संजीत, शामगढ़ (मंदसौर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील सागर, केसली, शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली में जुताई व जबलपुर में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिवनी में फसल रामतिल, श्योपुर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला टीकमगढ़ वर्षा के कारण फसलों को 10 प्रतिशत नुकसान व सीहोर में निरन्तर वर्षा होने से फसलें पीली पड़ गई है. कीट प्रकोप से प्रभावित है व सागर, सिवनी में अतिवृष्टि से फसलें एवं सोयाबीन फसल कहीं-कहीं प्रभावित हुई हैं.

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	151.5	का कार्य चालू है.	4. (1) गन्ना, कपास. मूँगफली, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	136.2		तिल,धान, सोयाबीन, उड़द,मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	58.4		तुअर समान.		
			(2) . .		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	118.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	74.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	56.0				
4. मेहगांव	94.8				
5. लहार	76.6				
6. मिहोना 7. रौन	35.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	160.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	158.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	117.0				
4. घाटीगांव	124.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	30.0		4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	102.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	72.0				
4. नरवर	81.0				
5. करैरा	128.0				
6. कोलारस	69.0				
7. पोहरी	168.0				
8. बदरवास	31.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	66.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	68.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	40.0				
4. चन्देरी	72.0				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	89.5		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	81.0		(2) . .	. .	
3. बमोरी	101.0				
4. आरोन	87.0				
5. चाचौड़ा	108.0				
6. कुम्भराज	68.0				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. वर्षा के कारण फसलों को 10% नुक्सान हुआ हैं.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	187.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	139.0		(2) . .		
3. जतारा	103.0				
4. टीकमगढ़	144.0				
5. बल्देवगढ़	205.0				
6. पलेरा	162.0				
7. ओरछा	75.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	126.0		4. (1) ज्वार, तिल, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	156.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	87.3				
4. छतरपुर	236.6				
5. राजनगर	165.4				
6. बिजावर	187.4				
7. बड़ामलहरा	130.2				
8. बकस्वाहा	193.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	153.2		4. (1) मक्का, तुअर, सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	108.3		(2) . .		
3. गुन्नौर	154.0				
4. पवई	91.0				
5. शाहनगर	96.8				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. अतिवृष्टि से फसलें प्रभावित हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	135.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	212.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	167.6				
4. सागर	299.9				
5. रेहली	198.0				
6. देवरी	184.0				
7. गढ़ाकोटा	95.6				
8. राहतगढ़	182.0				
9. केसली	284.4				
10. शाहगढ़	290.0				
11. मालथोन	156.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	32.3		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	15.0		मक्का, कोदों-कुटकी, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	45.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	31.4				
5. उचेहरा	11.0				
6. अमरपाटन	25.0				
7. रामनगर	10.0				
8. मैहर	15.0				
9. बिरसिंहपुर	28.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	113.0	चालू है.	4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	175.6		उड़द, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	236.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	135.3				
5. हजूर	131.0				
6. गुढ़	88.0				
7.रायपुरकर्चुलियान	114.0				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	72.0	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	114.0		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	85.0		(2) . .		
4. जैतपुर	52.0				
4. बुढार	105.5				
5. गोहपारू	57.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	55.4	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का अधिक. धान, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	90.9		सोयाबीन,उड़द, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	94.9		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	97.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	38.0	का कार्य चालू है.	4. (1) धान,मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	97.0		उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	118.0		रामतिल-कम.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	130.8		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर, मूँग, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	222.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	60.0				
4. कुसमी	63.0				
5. चुरहट	120.0				
6. रामपुरनैकिन	128.2				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, तुअर, सांवा अधिक. मूँग, उड़द, कोदों-कुटकी, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	95.2		4. (1) कपास, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	42.6		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	29.6				
4. गरोठ	51.0				
5. संजीत	61.0				
6. मन्दसौर	28.0				
7. कयामपुर	57.2				
8. सीतामऊ	51.4				
9. धुन्धड़का	32.0				
10.शामगढ़	97.1				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	23.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	47.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	39.0				
4. घटिया	42.0				
5. उज्जैन	29.0				
6. बड़नगर	12.4				
7. नागदा	44.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		मक्का कम, कपास, तुअर, धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .		(2) . .		
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास कम. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली समान.	. .	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) . .		
4. च. शेखर आजाद नगर	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	13.2		4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	18.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	13.9				
4. कुक्षी	25.0				
5. मनावर	26.0				
6. धरमपुरी	12.0				
7. गंधवानी	20.0				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वाार, मक्का, धान, बाजरा, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	11.4		4. (1) कपास, मूँगफली तिल, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	35.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगंर	40.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	155.5		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	229.4		गन्ना, ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	183.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	386.2				
5. सारंगपुर	114.2				
6. नरसिंहगढ़	112.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	66.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	70.0		(2) . .	. .	
3. कुरवाई	128.4				
4. बासौदा	112.6				
5. नटेरन	87.0				
6. विदिशा	69.8				
7. ग्यारसपुर	150.0				
***जिला भोपाल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. हुजूर	. .		(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. निरन्तर वर्षा होने से फसलें पीली पड़ गई हैं. कीट प्रकोप से प्रभावित है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	62.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	135.6		सोयाबीन, मूँगफली, तिल,उड़द,	. .	
3. बेगमगंज	189.1		सन, गन्ना.		
4. गोहरगंज	251.0		(2) . .		
5. बरेली	141.3				
6. सिलवानी	181.0				
7. बाड़ी	110.5				
8. उदयपुरा	232.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	91.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. चिचोली	147.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	65.6				
4. घोड़ाडोंगरी	132.4				
5. बैतूल	166.3				
6. मुलताई	113.2				
7. आठनेर	68.2				
8. आमला	124.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	87.6		4. (1) गन्ना, तिल, मूंगफली , तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	55.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	57.0				
4. इटारसी	73.2				
5. सोहागपुर	138.0				
6. पिपरिया	218.0				
7. वनखेड़ी	224.2				
8. पचमढ़ी	310.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	248.0		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	325.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	463.6				
4. जबलपुर	395.2				
5. कुण्डम	209.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	188.4		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	114.0		राहर,कोदो, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ	92.5		(2) . .		
4. बहोरीबंद	224.8				
5. ढीमरखेड़ा	174.0				
6. बरही	93.0				
7. बड़वारा	91.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	375.8		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल, सन सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	271.8				
3. नैनपुर	304.0		(2) . .		
4. मण्डला	320.4				
5. घुघरी	31.7				
6. नारायणगंज	509.1				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	99.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	152.6		(2) . .		
3. परासिया	152.8				
4. जामई (तामिया)	425.0				
5. सोंसर	120.6				
6. पांढुर्णा	57.6				
7. अमरवाड़ा	79.0				
8. चौरई	85.0				
9. बिछुआ	64.3				
10. मोहखेड़ा	79.6				
11. हर्रई	165.3				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रामतिल की बोनी का कार्य चालू है. अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल प्रभावित है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	87.6		4. (1) धान, तुअर, तिल अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, मूँगफली, सोयाबीन, सन कम.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	143.0				
3. लखनादौन	100.1				
4. बरघाट	53.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. कुरई	147.0				
6. घंसौर	258.0				
7. धनोरा	99.0				
8. छपारा	43.3				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	205.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	135.0		(2) . .		
3. बैहर	257.0				
4. वारासिवनी	106.5				
5. कटंगी	86.2				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला नीमच, देवास, बड़वानी, भोपाल, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(691)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.